

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या-291/2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित — कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अशोक दास

बनाम

राज्य सरकार

आदेश

01.06.2026

1— प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **अशोक दास** उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता नीरो दास साकिन करहरा, थाना झाझा, जिला जमुई द्वारा झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 में नियमित जमानत हेतु दाखिल किया गया है। उक्त जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता **रविन्द्र कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया। आवेदक दिनांक 21.04.2026 से कारा में संसीमित है।

2— अभियोजन का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 13.05.2025 को रात्रि लगभग 8:00 बजे सूचिका के पति नूनलाल दास पे0 स्व0 गिरधारी दास उम्र 51 वर्ष अपने घर पर अकेले थे तभी सूचिका के गांव करहरा के ही रहने वाले लोग निरोदास पे0 प्रभू दास, चन्द्रवतिया देवी जौजे निरो दास, रामविलास दास, अशोक दास दोनों पे0 निरो दास, गुहन दास पे0 भूलो दास रानी देवी जौजे गुहन दास, सभी लाठी भुजाली तथा रॉड से लैस होकर जबरन सूचिका के घर के अन्दर घुस गये और सूचिका के पति के साथ गाली-गालौज कर जबरदस्त तरीके से मारपीट करने लगे। तब रामविलास दास ने अपने हाथ में लिए रॉड एवं अशोक दास ने अपने हाथ में लिये लाठी चलाकर सूचिका के पति को जान मारने के नियत से हमला कर दिया जिससे सूचिका के पति के सिर पर जोर से चोट लगा और सिर फट गया और वे लहलुहान हो गये तब अशोक दास ने रॉड से प्रहार कर उनके सीने एवं दाहिने हाथ पर मारकर कंधा भी तोड़ डाला। इतने में भी वे लोग वहां पर नहीं माने, उक्त लोग सूचिका के पति को मारपीट करके उनके घर से खींचकर अपने घर को ले जाने लगे। परन्तु आसपास के लोगों ने वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचायी एवं उनलोगों ने मारपीट के क्रम में सूचिका के घर पर रखा दोनों मोबाईल जीयो (मो0 नं0 9546928242) तथा रेडमी कंपनी का, निकाल कर भाग गये। मुदालहगण काफी मनबद्ध है तथा उनलोगों का मंशा सूचिका को कमजोर जानकर पुनः मारपीट करने का है।

3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को परिचालित कर निवेदन करते हैं कि आवेदक दिनांक 21.04.2026 से कारा में संसीमित है। यह कि आवेदक और अन्य सहअभियुक्त की ओर से इसी न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1500/25 दाखिल किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष किमिनल मिसलेनियस संख्या 89918/25 दाखिल किया गया था जिसमें वाद का निष्पादन का सत्र न्यायालय को निर्देश देते हुए कहा गया है कि सूचक के पति की चोट पर डॉक्टर की अंतिम राय मांगे। इसमें आगे कहा गया कि यदि चोट सामान्य है तो आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है यदि उनकी चोट गंभीर पाई जाती है तो आवेदकगण को आत्मसमर्पण करने और सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत मांगने का निर्देश दिया गया है। यह कि आवेदक झाझा थाना कांड संख्या 293/18 जी0आर0 नंबर 2331/18 में भी अभियुक्त है जिसमें वह जमानत पर है। यह कि आवेदक को 35(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत कोई नोटिस नहीं दी गई है। यह कि आवेदक की ओर से विद्वान

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या-291/2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित - कमला प्रसाद,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अशोक दास

बनाम

राज्य सरकार

01.06.2026

लगातार

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 24.04.2026 के आदेश से खारिज कर दिया गया। यह कि आवेदक द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है वह बिल्कुल निर्दोष है। इस वाद का एक काउन्टर केस झाझा थाना कांड संख्या 225/26 भी है। जिसमें इस वाद की सूचिका तथा उनके नजदीकी सदस्य अभियुक्त हैं। यह कि सूचिका के पति पर किसी भी खतरनाक हथियार से हमला करने का कोई आरोप नहीं है और न ही सूचिका के पति के शरीर पर किसी महत्वपूर्ण अंग पर हमला करने का कोई आरोप है इसलिए धारा 118(1) तथा 109(1) बी0एन0एस0 उनके विरुद्ध नहीं बनता है। यह कि एफ0आई0आर में अंकित दो मोबाईल चोरी का आरोप विशिष्ट नहीं है बल्कि यह प्रकृति में सर्वव्यापी एवं सामान्य है और सूचिका ने उसका कोई मूल्यांकन भी नहीं दिया है इसलिए आवेदक के विरुद्ध धारा 303(2) नहीं बनता है। आवेदक न्यायालय में न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है तथा आवेदक जमानत आवेदन का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4- अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5- उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 333, 303(2), 352, 351(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि अन्य सहअभियुक्तों के साथ आवेदक भी लाठी, भुजाली, रॉड से लैश होकर जबरन सूचिका के घर में घुस गए और सूचिका के पति के साथ गाली गलौज देकर जबरदस्त तरीके से मारपीट करने लगे तथा रामबिलास ने अपने हाथ रॉड एवं अशोक दास ने अपने हाथ में लिये लाठी चलाकर सूचिका के पति पर जान मारने के नियत से हमला कर दिया। सूचिका के पति के सिर पर रॉड से काफी चोट लगा है उसका सिर फट चुका है तथा वे लहुलुहान हो गए तथा अशोक दास ने रॉड का प्रहार करके उनके सीने एवं दाहिने हाथ में मारकर कंधा भी तोड़ डाला। वे लोग इतने पर भी वहां नहीं माने तथा सूचिका के पति को मारपीट करके सूचिका के घर से खींचकर अपने घर ले जाने लगे परंतु आसपास के लोगों ने वहां पर पहुंचकर उनकी जान बचायी। उन लोगों ने मारपीट के क्रम में सूचिका के घर के अन्दर रखा दोनों मोबाईल जीयो रेडमी जिसमें जियो सिम 9546928242 लगा हुआ था वह भी निकालकर लेकर भाग गए। वाद दैनिकी की कंडिका 05 में घटनास्थल का विवरण है। वाद दैनिकी की कंडिका 02 में वादी ने अपने पुनः बयान में अभियोजन के केस का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 07 में साक्षी नन्हकेश्वर दास ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका 08 में जख्मी साक्षी नुनलाल दास ने भी घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 26 में नुनलाल दास के जख्म का प्रतिवेदन है जिसमें जख्म की प्रकृति को रिजर्व रखा गया है तथा वाद दैनिकी की कंडिका 45 में पूरक जख्म प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण अंकित है परंतु नोट में अंकित है कि जख्म का रिपोर्ट प्राप्त होने पर जख्म की प्रकृति गंभीर हो सकती है। पुनः

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय, जमुई

जमानत आवेदन संख्या-291/2026

(झाझा थाना कांड संख्या 224/2025 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

अशोक दास

बनाम

राज्य सरकार

01.06.2026

जख्म की प्रकृति आवेदक के आपराधिक इतिहास एवं अद्यतन कांड दैनिकी का न्यायालय द्वारा मांग किया गया उसके पश्चात् राजेश कुमार सिंह सह अ०नि० झाझा, जमुई द्वारा डी०आर० संख्या 1967/26 दिनांक 26.05.2026 के द्वारा उक्त कांड का वाद दैनिकी संख्या 01 से 11 कंडिका 01 से 94 तक जख्म जांच प्रतिवेदन एवं अपराधिक इतिहास भेजा गया है तथा चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिकी स्वा० केन्द्र झाझा जमुई द्वारा भी जख्मी नूनलाल दास का पूरक जख्म जांच प्रतिवेदन अंतिम रूप से लिखिते हुये थाना को हस्तगत कराते हुए एक प्रति न्यायालय में भेजा गया है। उक्त जख्म प्रतिवेदन तथा वाद दैनिकी की कंडिका 91 के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी नूनलाल दास को कारित जख्म नंबर 03 जो प्रारंभिक रिपोर्ट में अंकित है, उसकी प्रकृति गंभीर है तथा वाद दैनिकी की कंडिका 91 में जख्मी के सीने एवं सर्वाङ्गकल एवं कंधे तथा रीड़ की हड्डी का एक्स-रे रिपोर्ट की छायाप्रति भी संलग्न है। । वाद दैनिकी में साक्षियों के बयान तथा प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक व सहअभियुक्तगण द्वारा रॉड से सूचिका के पति के सिर पर एवं सीने तथा हाथ पर मारकर गंभीर रूप से जख्मी करने का सीधा आरोप है तथा जख्म प्रतिवेदन में जख्म की प्रकृति गंभीर बतायी गई है। वाद का अनुसंधान अभी जारी है आरोप पत्र अभी समर्पित नहीं किया गया है।

अतः इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अभी तक अभिलेख पर उपस्थित तथ्यों एवं उपरोक्त विवेचन तथा अपराध एवं जख्म की प्रकृति के आलोक में इस न्यायालय के मत में आवेदक को वाद के इस प्रक्रम पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, जमुई